'माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947'

SEMESTER- VI PAPER 13B

22 मार्च, 1947 ई० को भारत के 34 वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन भारत आये, जिनका एकमात्र उद्देश्य था, अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना।

3 जून, 1947 ई० को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में विभाजन की घोषणा की 'जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में भारत की राजनैतिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। यह योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी, इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह निर्णय करना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित पाकिस्तान में शामिल होंगे।

माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:-

- पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाये और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो प्रांत का विभाजन कर दिया जायेगा।
- विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियनों तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जायेगा।
- सिंध प्रांत इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा।
- उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले

में जनमत संग्रह द्वारा पर पता लगाया जायेगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं।

- योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे :-

1. भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा।
2. बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया।
3. हैदराबाद की पाकिस्तान में शामिल होने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया।

- 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जायेगा।

माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत एवं पाकिस्तान दो डोमिनियनों में विभाजन कर दिया गया। माउंटबेटन योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा सा हो।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे देश विभाजन की अंग्रेजों की कुनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

माउंटबेटन योजना को स्वीकृत करने के बाद जनमत-संग्रह का काम प्रारंभ हुआ। पंजाब और बंगाल के हिंदू बहुमत वाले क्षेत्रों ने भारत के साथ रहने पर सहमति प्रकट की और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त, सिन्ध, बलुचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भारत दो क्षेत्रों में बंट गया।

माउंटबेटन योजना के अनुसार एक विधेयक 4 जुलाई, 1947 ई० को पेश किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया गया। स्वीकृत विधेयक 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' के नाम से प्रसिद्ध है।

भारत की अखंडता समाप्त कर दो पृथक राष्ट्रों का निर्माण किया गया - भारत और पाकिस्तान। दोनों राष्ट्रों में संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।

'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' के मुख्य उपबन्ध क्रमशः इस प्रकार थे:—

(i) 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत दो अधिराज्यों में विभाजित किया गया - एक का नाम भारत और दूसरे का पाकिस्तान।

भारत के अंदर बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम (सिलहट छोड़कर) दिल्ली, अजमेर मेवाड़ और कुर्ग के क्षेत्र रखे गये।

पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, सिन्ध, बलुचिस्तान

उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और असम के सिलहट जिले को सम्मिलित किया गया। दोनों राष्ट्रों को स्वतंत्र औपनिवेशिक पद प्रदान किया गया।

दोनों उपनिवेशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी और वे अपने इच्छानुसार संविधान के निर्माण में स्वतंत्र रहेंगी।

(iii) दोनों उपनिवेशों के एक-एक गवर्नर-जनरल रहेंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से की जायेगी।

(iv) जबतक संविधान का निर्माण नहीं होगा तबतक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चलेगा।

(v) दोनों उपनिवेश अपने इच्छानुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या संबंध विच्छेद करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(vi) पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का काम एक आयोग के सुपुर्द किया गया। सर रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ के निर्णय को भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया।

(vii) 15 अगस्त 1947 ई० के बाद देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता समाप्त हो गई और सरकार की पूर्व में की गयी सभी संधियां भी निरस्त कर दी गई।

(viii) देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित होने या ~~स्वतंत्र~~ स्वतंत्र रहने की छूट दी गयी।

(ix) कैबिनेट मिशन के अंदर बैठाई गई संविधान सभा देश-विभाजन के दो भागों में बंट गयी।

1947 ई० के अधिनियम का मूल्यांकन

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो

पृथक अधिराज्यों की स्थापना की गई।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अखंड भारत की कल्पना अधूरी रह गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से कई सदियों से चली आ रही पराधीनता के इतिहास की समाप्ति हो गई। देश आजाद हुआ और भारत स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। इस अधिनियम के साथ भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने संसद में कहा था कि 'यह घटनाओं के लंबे तांते की चरम सीमा है।' लार्ड सैमुएल ने इसे इतिहास की एक अनोखी घटना और बिना युद्ध के शांति संधि कहा था।

मजदूर दल ने भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपकर (Labour party) अपना लक्ष्य पूरा किया।

Rajesh Kr. Singh
Asst. Prof History
D.S.P.M.